सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 के अंतर्गत आवेदन किये जाने के संबंध में निर्गत दिशा – निर्देश

- **पात्रता की शर्तें–**
  1. आवेदक बिहार का स्थायी/मूल निवासी हो।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  3. आवेदक राज्य तथा केन्द्र सरकार की अन्य समरूप योजना से लाभान्वित नहीं हो।
  4. एक व्यक्ति को जीवन काल में एक ही बार इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
  5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में "पहले आओ, पहले पाओं" के आधार पर कुल 100 तीर्थयात्रियों को अनुदान स्वरूप राशि प्रदान की जायेगी।
  6. इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु यह अनिवार्य है कि लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा धार्मिक तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से की गई हो।

- **आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज –**
  1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. सिंधु नदी पर सिंधु दर्शन घाट के साथ आवेदक की GEO Tagged Photograph.
  4. यात्रा पूर्ण किये जाने के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त सोसाइटी/संस्थान द्वारा सत्यापित पंजीकरण पत्र/प्रमाण–पत्र। साथ ही आवेदकों को जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन की ओर से खारदूंगला पास जाने के लिए जारी इनर लाईन परमिट की प्रति।
  5. यात्रा व्यय से संबंधित अन्डरटेकिंग।

- **सामान्य शर्तें–**
  1. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों को यात्रा पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  2. सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा जम्मू–कश्मीर राज्य के लेह–लद्दाख में सिंधु नदी तक यात्रा का कार्यक्रम है तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष इस यात्रा हेतु तिथि का निर्धारण किया जाता है, इसके मद्देनजर आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे

जम्मू–कश्मीर राज्य सरकार द्वारा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा/उत्सव के आयोजन के लिए निर्धारित तिथियों में ही इस यात्रा को पूर्ण करें।

3. यह योजना विभागीय संकल्प सं0– 1663 दिनांक– 18.06.2026 के माध्यम से अधिसूचित की गयी है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं आगामी वित्तीय वर्षों में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्तियों को ही अनुदान की राशि प्रदान की जायेगी।

- **<u>आवेदन की प्रक्रिया–</u>**

1. इच्छुक एवं पात्र आवेदक दिनांक– 15.07.2026 से ऑनलाईन माध्यम से www.tourism.bihar.gov.in पर निर्धारित आवेदन पत्र में सूचनाएं प्रविष्ट कर सभी वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित कर सकेंगे।